BCI चेयरमैन मनन मिश्रा की कुर्सी खतरे में? सुप्रीम कोर्ट पहुंचा मामला

विषय सूची (Table of Contents):

>> 1. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के 12 साल के कार्यकाल का मा...
>> लगातार सातवें कार्यकाल की वैधता पर सवाल...
>> 2. क्या है BCI का नियम 12(2) और क्यों सवालों के घेरे में है अप्रैल 2025 की गजट अ...
>> प्रशासनिक अधिसूचना बनाम वैधानिक नियम...
>> 3. मनन मिश्रा को पद से हटाने और तय समयसीमा में नए चुनाव कराने की मांग...
>> स्वतंत्र निगरानी में चुनाव की आवश्यकता...
>> 4. कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने और राज्यों के रोटेशन फॉर्मूले का प्रस्ताव...
>> रोटेशन प्रणाली और कूलिंग-ऑफ पीरियड...
>> 5. PEARL-FIRST ट्रस्ट और AIBE फंड्स की जांच कैग (CAG) ऑडिट कराने की गुहार...
>> वित्तीय लेन-देन और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट...
>> 6. पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति के गठन की अपील...
>> तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों का सहयोग...
>> 7. फैसले तक BCI का कामकाज संभालने के लिए अंतरिम प्रशासनिक समिति का सुझाव...
>> दैनिक कार्यों की सुचारू निगरानी...
>> 8. राजनीतिक जुड़ाव और बार काउंसिल की संस्थागत निष्पक्षता पर उठे सवाल...
>> स्वायत्तता और स्वतंत्रता का संरक्षण...
>> निष्कर्ष (Conclusion)...
>> महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर...

Latest Update 2026:बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) के चेयरमैन पद पर पिछले 12 वर्षों से काबिज वरिष्ठ अधिवक्ता मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को लेकर कानूनी विवाद गहरा गया है। इस मामले कीstatusअब सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच चुकी है, जहां उनके लंबे कार्यकाल, नियमों की अनदेखी और चुनावी प्रक्रियाओं की वैधता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं।

भारतीय विधि समुदाय की शीर्ष नियामक संस्थाBar Council of India (BCI)के नेतृत्व को लेकर देश की शीर्ष अदालत में एक महत्वपूर्ण जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के लगभग 12 वर्षों के लगातार कार्यकाल और अप्रैल 2025 में जारी गजट अधिसूचना को सीधे तौर पर चुनौती दी गई है।

अधिवक्ता योगमाया एमजी द्वारा अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से दायर इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि विधिक नियमों को दरकिनार कर प्रशासनिक अधिसूचना के जरिए कार्यकाल को 2030 तक बढ़ाने की कोशिश की गई है। याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से हस्तक्षेप करते हुए स्वतंत्र निगरानी में नए चुनाव कराने, वित्तीय मामलों काauditकराने और अंतरिम समिति गठित करने की गुहार लगाई है।

देशभर की विधिक गतिविधियों और अदालती नियुक्तियों से जुड़ी खबरों के लिए आपMP हाई कोर्ट में सहायक ग्रेड-3 की बंपर भर्ती, आज ही करें

आवेदन!का वविरण भीcheckकर सकते हैं।

1. सुप्रीम कोर्ट पहुंचा BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के 12 स

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उल्लेख किया गया है कि मनन कुमार मिश्रा वर्ष 2012 से BCI के चेयरमैन पद पर बने हुए हैं। वर्ष 2014 में कुछ महीनों के संक्षिप्त अंतराल को छोड़कर वह लगातार इस पद पर निर्वाचित होते रहे हैं।

लगातार सातवें कार्यकाल की वैधता पर सवाल

मार्च 2025 में मनन कुमार मिश्रा को एक बार फिर निर्विरोध चेयरमैन चुना गया, जो उनका लगातार सातवां कार्यकाल माना जा रहा है। याचिकाकर्ता का तर्क है कि अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाली राष्ट्रीय संस्था में इतने लंबे समय तक पद का एक ही व्यक्ति के पास रहना लोकतांत्रिक संतुलन के विपरीत है।

याचिका में कहा गया है किAdvocates Actकी धारा 4(1)(c) के तहत प्रत्येक राज्य बार काउंसिल का BCI के गठन में महत्वपूर्ण योगदान होता है। ऐसे में पूरे देश के अधिवक्ताओं की शीर्ष संस्था का नेतृत्व अनिश्चितकाल तक किसी एक व्यक्ति या विशेष समूह तक सीमित नहीं रहना चाहिए।

2. क्या है BCI का नियम 12(2) और क्यों सवालों के घेरे में है

याचिका का मुख्य आधार BCI नियमों काRule 12(2)है, जो स्पष्ट करता है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन का कार्यकाल केवल दो वर्ष का होगा। यह अवधि सदस्यता समाप्त होने या दो साल पूरे होने (जो भी पहले हो) तक ही प्रभावी रहती है।

प्रशासनिक अधिसूचना बनाम वैधानिक नियम

याचिका में 21 अप्रैल 2025 को जारी उस गजट अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई है, जिसके जरिए कथित रूप से मिश्रा का कार्यकाल 2030 तक बढ़ा दिया गया है। याचिकाकर्ता के अनुसार, प्रशासनिक स्तर पर जारी कोई भी आदेश मूल वैधानिक नियमों का स्थान नहीं ले सकता।

>> नियम 12(2) का उल्लंघन:दो वर्ष की तय सीमा के बावजूद बिना संशोधन के कार्यकाल बढ़ाना नियमविरुद्ध बताया गया है।

>> गजट निरस्तीकरण की मांग:अदालत से अपील की गई है कि 21 अप्रैल 2025 की अधिसूचना को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का आदेश दिया जाए।

>> कानूनी बाध्यता:वैधानिक नियमों की सर्वोच्चता बनाए रखने के लिए अधिसूचना कीPDF listऔर संबंधित दस्तावेजों की जांच आवश्यक बताई गई है।

3. मनन मिश्रा को पद से हटाने और तय समयसीमा में नए चुनाव कराने

याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से प्रार्थना की है कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए मनन कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से चेयरमैन पद से हटाया जाए। इसके साथ ही बार काउंसिल में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की बहाली के लिए एक निश्चित समयसीमा के भीतर निष्पक्ष चुनाव कराए जाएं।

स्वतंत्र निगरानी में चुनाव की आवश्यकता

याचिका में इस बात पर बल दिया गया है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी और बाहरी प्रभाव से मुक्त होनी चाहिए। इसके लिए अदालत द्वारा नियुक्त पर्यवेक्षकों की देखरेख में मतदान कराने का अनुरोध किया गया है ताकि सभी राज्य बार काउंसिलों को समान अवसर मिल सके।

प्रशासनिक जवाबदेही और सार्वजनिक मामलों से जुड़ी अन्य जानकारी के लिएजैथरा जन चौपाल: विधायक ने सुनी समस्याएं, अधिकारियों की लगाई क्लासरिपोर्ट भी पढ़ सकते हैं।

4. कार्यकाल की अधिकतम सीमा तय करने और राज्यों के रोटेशन फॉर्

याचिका में बार काउंसिल के ढांचे में दीर्घकालिक सुधारों की वकालत की गई है। इसमें कहा गया है कि भविष्य में किसी भी व्यक्ति के लिए कुल कार्यकाल की एक अधिकतम सीमा (Term Limit) तय की जानी चाहिए ताकि एकाधिकार की स्थिति न बने।

रोटेशन प्रणाली और कूलिंग-ऑफ पीरियड

याचिकाकर्ता ने देश के विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों और राज्यों को नेतृत्व का उचित अवसर देने के लिए एक पारदर्शी रोटेशन प्रणाली लागू करने का सुझाव दिया है।

>> राज्यों का रोटेशन:अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को बारी-बारी से चेयरमैन पद का दायित्व सौंपा जाए।

>> कूलिंग-ऑफ अवधि:एक कार्यकाल पूरा होने के बाद दोबारा चुनाव लड़ने से पहले अनिवार्य अंतराल निर्धारित हो।

>> क्षेत्रीय संतुलन:राष्ट्रीय संस्था में उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम सभी क्षेत्रों का समान प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।

5. PEARL-FIRST ट्रस्ट और AIBE फंड्स की जांच: कैग (CAG) ऑडिट

याचिका में केवल चुनावी और कार्यकाल से जुड़े मुद्दे ही नहीं, बल्कि BCI से जुड़े वित्तीय मामलों और फंड प्रबंधन पर भी गंभीर प्रश्न खड़े किए गए हैं।

विशेष रूप सेAll India Bar Examination (AIBE)से होने वाले वित्तीय लेन-देन की गहन जांच की मांग की गई है।

वित्तीय लेन-देन और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का ऑडिट

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि BCI ट्रस्ट PEARL-FIRST और संस्थागत प्राप्तियों के प्रबंधन में वित्तीय पारदर्शिता की कमी रही है। अदालत से आग्रह किया गया है कि कैग (CAG) द्वारा नामित स्वतंत्र ऑडिटर से निम्नलिखित पहलुओं का विशेषauditकराया जाए:

>> AIBE परीक्षा शुल्क:परीक्षा से प्राप्त होने वाले वैधानिक फंड और आय का विस्तृत ब्योरा।

>> PEARL-FIRST ट्रस्ट:ट्रस्ट के तहत किए गए वित्तीय आवंटन, खर्च और परिसंपत्तियों की स्थिति।

>> वेंडर और थर्ड-पार्टी अनुबंध:विभिन्न सेवाओं के लिए किए गए समझौतों और लेन-देन की निष्पक्ष जांच।

खेल और अन्य राष्ट्रीय अपडेट्स के लिएसूर्यकुमार यादव को टी20 टीम से बाहर किया गया!का विश्लेषण भी देखें।

6. पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में स्वतंत्र जांच समिति के ग

याचिकाकर्ता ने निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक उच्चस्तरीय जांच समिति गठित करने की अपील की है। इस समिति का नेतृत्व सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश या किसी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश को सौंपने का प्रस्ताव रखा गया है।

तकनीकी एवं वित्तीय विशेषज्ञों का सहयोग

प्रस्तावित समिति की सहायता के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) द्वारा नामित योग्य ऑडिटर्स के साथ-साथ वित्तीय और कानूनी विशेषज्ञों को शामिल करने का अनुरोध किया गया है। यह समिति तय समयसीमा के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट सीधे सुप्रीम कोर्ट को सौंपेगी।

7. फैसले तक BCI का कामकाज संभालने के लिए अंतरिम प्रशासनिक सम

यदि सुप्रीम कोर्ट द्वारा मामले की सुनवाई के दौरान कोई कड़ा कदम उठाया जाता है, तो BCI के दैनिक प्रशासनिक कार्यों में रुकावट न आए, इसके लिए याचिका में अंतरिम व्यवस्था का सुझाव दिया गया है।

दैनिक कार्यों की सुचारू निगरानी

याचिकाकर्ता का प्रस्ताव है कि अंतिम फैसला आने तक एक स्वतंत्र अंतरिम प्रशासनिक समिति का गठन किया जाए। यह समिति अधिवक्ताओं के पंजीकरण, विधिक शिक्षा के मानकों और AIBE जैसी राष्ट्रीय परीक्षाओं के सफल संचालन की निगरानी करेगी, ताकि देश के लाखों कानून के छात्रों और वकीलों को किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

8. राजनीतिक जुड़ाव और बार काउंसिल की संस्थागत निष्पक्षता पर

याचिका में मनन कुमार मिश्रा के राजनीतिक जुड़ाव और BCI की स्वायत्तता पर उसके संभावित प्रभाव का भी उल्लेख किया गया है। इसमें वर्ष 2024 में भारतीय जनता पार्टी (BJP) द्वारा उन्हें राज्यसभा के लिए नामित किए जाने के घटनाक्रम को रेखांकित किया गया है।

स्वायत्तता और स्वतंत्रता का संरक्षण

याचिकाकर्ता ने स्पष्ट किया है कि केवल राजनीतिक संबद्धता पद से अयोग्यता का आधार नहीं हो सकती, लेकिन एक स्वतंत्र विधिक नियामक संस्था के सर्वोच्च पद पर रहते हुए संस्थागत निष्पक्षता और साख को बनाए रखना अनिवार्य है। अधिवक्ताओं की राष्ट्रीय संस्था की गरिमा और स्वतंत्रता अक्षुण्ण रहे, इसके लिए न्यायिक दिशा-निर्देश जरूरी बताए गए हैं।

निष्कर्ष (Conclusion)

सुप्रीम कोर्ट में BCI चेयरमैन मनन कुमार मिश्रा के कार्यकाल को चुनौती देने वाली यह याचिका भारतीय कानूनी जगत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 12 साल के लंबे कार्यकाल, 2025 की गजट अधिसूचना, AIBE वित्तीय फंड्स और संस्थागत निष्पक्षता जैसे गंभीर मुद्दों पर अब सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या रहता है, इस पर पूरे देश के अधिवक्ताओं की नजरें टिकी हुई हैं।

महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में मनन कुमार मिश्रा के 12 वर्षों के कार्यकाल और अप्रैल 2025 की गजट अधिसूचना को चुनौती दी गई है, जिसमें कथित रूप से उनके कार्यकाल को 2030 तक बढ़ाया गया है। याचिका में नए चुनाव कराने और वित्तीय ऑडिट की मांग की गई है।

BCI नियमों का नियम 12(2) यह निर्धारित करता है कि चेयरमैन और वाइस-चेयरमैन का कार्यकाल अधिकतम दो वर्ष का होगा, जो सदस्यता समाप्ति या 2 साल पूरे होने तक लागू रहता है।

याचिकाकर्ता का तर्क है कि किसी प्रशासनिक गजट अधिसूचना के जरिए मूल वैधानिक नियमों को दरकिनार कर कार्यकाल को 2030 तक नहीं बढ़ाया जा सकता, इसलिए इसे निरस्त किया जाना चाहिए।

मनन कुमार मिश्रा पहली बार वर्ष 2012 में BCI चेयरमैन बने थे। वर्ष 2014 में कुछ महीनों के लिए पद छोड़ने के बाद वे नवंबर 2014 में दोबारा चुने गए और तब से लगातार पद पर बने हुए हैं।

याचिका में चेयरमैन के अधिकतम कुल कार्यकाल की सीमा तय करने, अलग-अलग राज्यों के प्रतिनिधियों को बारी-बारी से मौका देने (रोटेशन) और एक अनिवार्य कूलिंग-ऑफ पीरियड लागू करने की मांग की गई है।

याचिका में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन (AIBE) से होने वाली आय, BCI ट्रस्ट PEARL-FIRST के वित्तीय लेन-देन, संस्थागत प्राप्तियों और वेंडर कॉन्ट्रैक्ट्स का CAG ऑडिट कराने का अनुरोध किया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश या हाई कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्वतंत्र समिति बनाने का प्रस्ताव है, जिसे CAG ऑडिटर्स और तकनीकी विशेषज्ञों का सहयोग प्राप्त हो।

यदि सुप्रीम कोर्ट पद से हटाने का आदेश देता है, तो नए चुनाव होने तक BCI के दैनिक प्रशासनिक कार्य और परीक्षाओं के संचालन की निगरानी यह स्वतंत्र समिति करेगी।

वर्ष 2024 में उनके भाजपा द्वारा राज्यसभा सांसद बनने का हवाला देते हुए याचिका में BCI की संस्थागत निष्पक्षता और स्वायत्तता को लेकर चिंता व्यक्त की गई है।

यह याचिका अधिवक्ता योगमाया एमजी द्वारा अधिवक्ता दीपक प्रकाश के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है।

यह धारा सुनिश्चित करती है कि सभी राज्य बार काउंसिल BCI के गठन में भागीदार हों, जिससे शीर्ष संस्था में पूरे देश के अधिवक्ताओं का वास्तविक और संतुलित प्रतिनिधित्व बना रहे।